पत्र संख्या–विधि अनुभाग/2018–19/ 494 /1819073 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: दिसम्बर 08, 2018

1– **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,**
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

2– **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2,**
(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

3– **समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),**
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

शासकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या–कमिश्नर कैम्प/2017–18/283/वाणिज्य कर, दिनांक 19.02.2018 के माध्यम से स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे कि जिन प्रकरणों में मुख्यालय से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, ऐसे पत्रों को फील्ड कार्यालयों से मुख्यालय पृष्ठांकित/संदर्भित न किया जाए। विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र/कार्य स्पष्टतः आवंटित हैं। अतः उससे सम्बन्धित कार्य निष्पादन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का है एवं उसको अनावश्यक रूप से कमिश्नर कार्यालय में मात्र सूचनार्थ भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

वादों के वितरण सम्बन्धी परिपत्र संख्या–विधि अनुभाग/2018–19/445/वाणिज्य कर, दिनांक 27.11.2018 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परीक्षणोपरान्त वैट अधिनियम के नियम–71(2) के क्रम में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से दिनांक 30.11.2018 तक सूचना प्रेषित करने हेतु समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को निर्देशित किया गया था। उक्त परिपत्र के निर्देशों का अनुपालन एवं परीक्षण न करके कतिपय जोनों द्वारा किये जा रहे आदेशों की प्रतिलिपियां मुख्यालय को प्रेषित की जा रही हैं जबकि एक सम्भाग में वाद स्थानान्तरित करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) तथा एक जोन में वाद स्थानान्तरित करने का अधिकार सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर को प्राप्त है। सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां अनावश्यक रूप से मुख्यालय को पृष्ठांकित करने से समय, श्रम एवं धन का अपव्यय होता है।

अतः आपको स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे प्रकरणों जिनमें निर्णय की अधिकारिता जोनल अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को प्राप्त हैं, उनको अनावश्यक रूप से मुख्यालय पृष्ठांकित न किया जाए। यदि मुख्यालय के संज्ञान में प्रकरण विशेष संज्ञान में लाया जाना हो अथवा मुख्यालय/शासन स्तर से कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित हो तभी पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0/अनुभाग प्रभारी को सम्बोधित करते हुए पृथक से प्रेषित किया जाए। ताकि प्रकरण का प्रभावी रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।